

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/लिंक नं.-125724/2023/अलेसे-III/10342 दिनांक:- 18-12-2025

### कार्यालय आदेश

श्री नारायण दान, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-782064) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अधीक्षण भू-वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर जिनकी जन्म तिथि 01.07.1988 है, का दिनांक 13.11.2025 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 13.11.2025 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री नारायण दान के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(संध्या शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/लिंक नं.-125724/2023/अलेसे-III/10342 दिनांक:- 18-12-2025

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
3. अधीक्षण भू-वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री नारायण दान, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जैसलमेर।
5. श्रीमति पारस कंवर चारण पत्नी स्वर्गीय श्री नारायण दान, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) ग्राम-उजला, सांकड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर पिन कोड-345021 को प्रेषित कर लेख है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधीक्षण भू-वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/ए.सी.आर शाखा कार्यालय हाजा।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)